पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :—सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 184/2026

1 संदीप कुमार पुत्र विनोद जाति जाट निवासी चक 12 डीबीएल डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. विनोद पुत्र पतराम
2. ममता पत्नी विनोद

} जाति जाट निवासीयान चक 12 डीबीएल डबलीकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3 सीताश पुत्री विनोद पत्नी विकास कुमार जाति जाट निवासी नीमला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

4 शंकर पुत्र पतराम जाति जाट निवासी चक 12 डीबीएल डबली कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री रायसिंह भाखर व प्रतिवादी वकील अरविन्द नैण अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:—चक नं० 12 डीबीएल के खाता सं0 135/99 में प०न० 190/358 मु0 12 किलानं0 11, 12 कुल 0.506 है0 कमाण्ड आराजी का वादी संदीप कुमार को तथा चक नं0 12 डीबीएल के खाता सं0 135/99 में प0न0 190/358 मु0 12 किलानं0 9,10 कुल 0.506 है0 कमाण्डं आराजी का प्रतिवादी सं0 4 शंकर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। व चक न0 चक नं० 12 डीबीएल के खाता सं0 135/99 में विनोद का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार वादी एंव प्रतिवादी स0 4 का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/5/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।